तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **गोपाली बनाम राजस्थान सरकार** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/482**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.04.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि पक्षकारान का उक्त अपील में राजीनामा हो चुका है जिससे प्रार्थीयान अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील विड्रो करने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहती है तथा विड्रो करना चाह रही है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीयान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीयान द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	